कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर।

पत्रांक– /14–1 रामपुर दि0, 8-10-2021।

सेवा में,

वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय– जनपद रामपुर में रामपुर–बरेली मार्ग ओल्ड एन0एच0–24 एंव न्यू0 एन0एच0–530 किमी0 चैनेज 206.180 दॉयी पटरी तहसील–मिलक,ग्राम–रौरा कलान व मेंहदीनगर के खसरा/गाटा सं0–222 व 154 के दॉयी पटरी पर भारत पेट्रोलियम का0,लि0 बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1917 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव विना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रापोजल संख्या–FP/UP/Others/144077/2021

महोदय,

जनपद रामपुर की तहसील–मिलक, ग्राम–रौरा कलान व मेंहदीनगर के खसरा/गाटा सं0–222 व 154 रामपुर–बरेली मार्ग पर ओल्ड एन0एच0–24 एंव न्यू0 एन0एच0–530 किमी0 चैनेज 206.180 दॉयी पटरी पर भारत पेट्रोलियम कॉ0 लि0,बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1917 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव विना वृक्ष पातन किये अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम–1980 यथा संशोधित 1988 की धारा–02 के अन्तर्गत 0.1927 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 04 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस परियोजना से सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर के अन्तर्गत किसी प्रकार वन एंव वन्य जीवों के हित प्रभावित नहीं होगें। कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर।

पत्रांक– 850/

प्रतिलिपि–वरिष्ठ प्रबन्धक,भारत पेट्रोलियम कॉ0,लि0 बरेली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर।

CC